

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या— वि० प्रा० (I) नियुक्ति— ०२/२०१७/२०२३/पटना, दिनांक – ६-८-२०१८

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या २०/२०१४ के आलोक में आयोग के पत्रांक १८१ दिनांक ०८.११.२०१७ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान पीबी-३, १५६००-३९१०० + एजीपी ६०००/- (अपुनरीक्षित) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के अधीन सहायक प्राध्यापक (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ-७ में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :—

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित पद एवं अभियंत्रण का नाम
१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री अमित दीपकर, S/o- श्री शंभुनाथ गुप्ता, ४६A तृतीय क्रास, गणपति निलय तृतीय तल सुंवह हॉस्पीटल मैथिकीरि बंगलोर— ५६००५४	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	७५	भागलपुर		सहायक प्राध्यापक (असैनिक), राजकीय अभियंत्रण महाऽ, बौका
२.	श्री विकास कुमार S/o- श्री शिव प्रसाद मंडल, टी०सी०-१, महानंदा कॉलोनी, जनता चौक, थाना— के हॉट, पूर्णिया—८५४३०१	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	९२	भागलपुर		सहायक प्राध्यापक (असैनिक), राजकीय अभियंत्रण महाऽ, वैशाली

2. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक प्राध्यापक (असैनिक) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। इनका अपने पद पर प्रभार मूल नियुक्ति पत्र के आधार पर ही प्राप्त किये जायेंगे।
3. सभी नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (असैनिक) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मेधा क्रमानुसार होगी।
5. अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. इनकी यह नियुक्ति सम्पूष्ट होने तक अस्थायी होगी।
7. ऐसे नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (असैनिक) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों में से पूर्व से ही विभाग में पदस्थापित सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता अपने पूर्व के पद का परित्याग की स्वीकृति के उपरान्त ही नवपद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
9. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

10. सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

11. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

12. निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/8/18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 2023 /पटना, दिनांक- 6-8-2018

प्रतिलिपि – श्री/सुश्री/श्रीमती- पिता/पति का नाम-
फोटो ग्राम/मो-
..... जिला- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

16/8/18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 2023/पटना, दिनांक- 6-8-2018

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (विभागीय आई०टी० मैनेजर के माध्यम से)।

16/8/18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 2023/पटना, दिनांक- 6-8-2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/कोषांग पदाधिकारी, बॉका/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 2023/पटना, दिनांक- 6-8-2018

प्रतिलिपि – मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारियों एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

16/8/18

सरकार के विशेष सचिव

16/8/18